निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 आषाढ़ 1936 (शo)

(सं0 पटना 563) पटना, वृहस्पतिवार, 3 जुलाई 2014

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

4 जून 2014

सं0 22/नि0सि0(वीर0)–07–05/2007/676––श्री ईश्वरी सहाय राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, पूर्वी तटबंध प्रमंडल सं0–2, वीरपुर द्वारा विभागीय अधिसूचना सं0–131 दिनांक 31.01.13 द्वारा संसूचित दंड के विरूद्ध समर्पित अपील अभ्यावेदन के आलोक में मामले की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में निम्न तथ्य पाये गये:–

पूर्वी तटबंध प्रमंडल सं0–2, वीरपुर में वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 में सम विकास योजना के तहत निर्मित स्लूईस गेटो में बरती गयी अनियमितता के लिए उड़नदस्ता से जाँच कराई गई। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में श्री ईश्वरी सहाय राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता से स्पष्टीकरण पूछा गया। उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की विभागीय समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त श्री राम के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाई गयी। समीक्षा में आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये गये। प्रमाणित आरोपों के लिए श्री राम से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री राम से द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरान्त श्री राम, कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाये गये। प्रमाणित आरोपों के लिए निम्न दंड संसूचित किया गया है –

(क) निन्दन वर्ष 2006–07,

(ख) संचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक।

उक्त संसूचित दंड के विरूद्ध श्री राम द्वारा अपील अभ्यावेदन महामहिम को संबोधित करते हुए समर्पित किया गया है जो राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक–822/पी0पी0/सी0सी–2013 दिनांक 04.04.2013 द्वारा प्राप्त है। अपील अभ्यावेदन में श्री राम द्वारा मुख्य रूप से निम्न तथ्य दिये गये है।

(1) श्री राम द्वारा अपील अभ्यावेदन में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग एवं विभागीय पत्र का जिक्र किया गया है जिसके तहत विभागीय कार्यवाही के लिए समय सीमा का निर्धारण किया गया है।

(2) According to constitution of india no person shall be prosecuted and punished for the shame offence move than once का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि जिला पदाधिकारी सुपौल के पत्रांक–08 दिनांक 04.01.2008 द्वारा गठित आरोप के क्रम में विभागीय पत्रांक–333 दिनांक 30.04.2008 द्वारा निलंबित एवं पत्रांक–974 दिनांक 28.11.2008 द्वारा निलम्बन दोषमुक्त किया गया है।

(3) पाँच वर्षो बाद पुनः दोबारा जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा एफ0 आई0 आर0 दर्ज करने का आदेश एवं प्रेषित प्रपत्र 'क' के आलोक में पत्रांक–1283 दिनांक 12.11.2012 द्वारा विभगीय कार्यवाही चलाई गयी जिसमें संचालन पदाधिकारी को जबाव सौप दिया।

(4) श्री सुर्य नारायण यादव, संवेदक सह सांसद प्रतिनिधि से प्राप्त परिवाद दिनांक 17.04.2007 के क्रम में उड़नदस्ता से जाँच कराकर स्पष्टीकरण पूछने, विभागीय कार्यवाही चलाने असहमति के बिन्दु पर द्वितीय कारण पृच्छा करने में 7 वर्षो का समय लगाया गया है। विभागीय कार्यवाही के क्रम में दो आरोप लगाये गये।

अभ्यावेदन की कंडिका–12 एवं 13 में आरोप संख्या–1 का जिक्र करते हुए इस संबंध में उड़नदस्ता द्वारा दिये गये प्रतिवेदन एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन को उल्लेखित करते हुए श्री राम के विरूद्ध आरोप को प्रमाणित नहीं पाये जाने का उल्लेख किया गया है। साथ ही वित्त विभाग के पत्रांक–3828 दिनांक 12.06.2006 तथा 3415 दिनांक 25.05.2007 का उल्लेख किया गया है, जिसमें कार्यपालक अभियंता को 50.00 लाख रूपये तक प्राक्कलन स्वीकृत तथा निविदा विस्तार की शक्ति प्रदान की गयी है। मुख्य अभियंता, वीरपुर के पत्रांक–3308 दिनांक 16.08.06 द्वारा राष्ट्रीय सम विकास योजना से संबंधित कार्यो के लिए कार्यपालक अभियन्ता को आदेशित तथा प्रधिकृत किया गया था। यदि निविदा में गड़बड़ी की मंशा होती तो निविदा बिक्री से लेकर तकनीकी बीड वित्तिय बीड का अनुमोदन मुख्य अभियन्ता से नही लिया जाता। निविदा का निष्पादन संवेदकों एवं अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में लौटरी के माध्यम से किया गया था। जिला पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक–318 दिनांक 25.11.2006 के आलोक में राष्ट्रीय सम विकास योजना 31.03.2007 तक स्वतः समाप्ति के क्रम में सभी संरचनाओं का निर्माण कार्य 30.06.07 तक पूर्ण बरकरार उपयोगिता प्रमाण–पत्र पत्रांक–219 दिनांक 14.10.07 से भेज दिया गया था।

कंडिका–14 में आरोप सं0–2 के संबंध में उड़नदस्ता एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा दिये गये मंतव्य को उल्लेखित करते हुए कहा गया है कि प्लास्टर नमूना के गणना में गुणवता में त्रुटि नहीं पाये जाने के कारण आरोप मुक्त करने का अभिमत दिया गया है।

कंडिका–15 में अधीक्षण अभियन्ता, उड़नदस्ता द्वारा पत्रांक–41 दिनांक 29.09.08 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्लास्टर में कमी के लिए दोषी माने जाने के संबंध में कहा गया है कि कोडल प्रावधानानुसार कार्यपालक अभियंता को 10 से 15 प्रतिशत की जाँच करनी है। नमूना जाँच हेतु लेने के क्रम में गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर आवश्यक है, परन्तु ऐसा नही कर गलत प्रतिवेदन दिया गया है। जिला पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक–636 दिनांक 12.10.07 द्वारा 7 अदद स्लूईस गेट निर्माण हेतु गठित समिति द्वारा कार्य संतोषप्रद पाया गया है। गुण नियंत्रण के प्रभारी कार्यपालक अभियन्ता से जाँचफल प्राप्त कर संवेदक को भुगतान किया गया है। परन्तु कोशी महाप्रलय 18. 08.08 के क्रम में जाँचफल अनुपलब्ध रहने के कारण संलग्न नहीं किया जा सका है।

कंडिका 16 एवं 17 में पूर्व के ही बातो को पुनः दोहराते हुए कहा गया है कि कराये गये कार्य सर्वोत्तम है फिर भी पुरस्कार के बदले निलंबन तक करके प्रताड़ित किया गया है। कहे गये तथ्यों के संबंध में साक्ष्य में कुछ साक्ष्य भी संलग्न किये गये है और अन्त में न्याय देने का आग्रह किया गया है।

श्री ईश्वरी सहाय राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, पूर्वी तटबंध प्रमंडल सं0–2, वीरपुर द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन में उल्लेखित तथ्यों के आलोकन से स्थिति निम्न हैः–

सम विकास योजना के तहत पूर्वी कोशी तटबंध प्रमण्डल सं0–2, वीरपुर में कराये गये कार्यो के लिए जिन संचिकाओं का जिक्र किया गया है उसकी स्थिति निम्नवत हैः–

1. संचिका सं0–22/नि0सि0(वीर0)–07–06/2008 में सम विसि योजना की राशि 2,37,80,788 रूपये को अपने व्यक्तिगत बचत खाता में रखने तथा सूद की राशि 2,41,265 रूपये कोषागार में जमा नहीं करने के आरोप में विभागीय पत्रांक 333 दिनांक 30.4.08 द्वारा निलंबित करते हुए नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही चलायी गयी थी। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय ज्ञापांक 974 दिनांक 28.11.08 द्वारा निलंबन मुक्त करते हुए दोषमुक्त करने का निर्णय लिया गया। उक्त निलंबन योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1090 दिनांक 26.3.08 द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आलोक में किया गया था जिसमें कार्रवाई के बाद स्थिति से अवगत कराने का निदेश था। निलंबन मुक्ति के पश्चात वित्त विभाग को उनके पत्रांक 3588 दिनांक 28.5.07 के आलोक में स्थिति से विभागीय पत्रांक 15 दिनांक 7.1.09 द्वारा अवगत कराया गया।

11. संचिका सं0–22/नि0सि0(वीर0)–07–05/2009 में सम विकास योजना के तहत 7 स्लुईस गेटों के निर्माण से संबंधित कार्यो में बरती गयी अनियमितता के लिए प्राप्त परिवाद के आलोक में उड़नदस्ता से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन सं0–41 दिनांक 29.9.08 के समीक्षोपरान्त संबंधित कार्यपालक अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं कनीय अभियन्ता से स्पष्टीकरण पूछा गया। प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त तीनों पदाधिकारियों के विरूद्व कार्यवाही चलाने का प्रस्ताव अनुमोदित हुआ। विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की विस्तृत विभागीय समीक्षा की गयी एवं असहमति के विन्दु पर द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

आरोप प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप (1) निन्दन वर्ष 2006–07 एवं (2) संचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्वि पर रोक का दण्ड माननीय मंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदनोपरान्त संसूचित हैः–

श्री राम द्वारा अपील/पुर्नविचार अभ्यावेदन में अधिरोपित दण्ड के विरूद्व उड़नदस्ता एवं संचालन पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में आरोप को प्रमाणित नहीं पाये जाने का उल्लेख करते हुए आरोप मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है जिसका आधार अपर वित्त आयुक्त (व्यय) वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–3828

दिनांक 12.6.06 तथा 3415 दिनांक 25.5.07 बताया गया है, जिसमें वित्त विभाग के पत्रांक 3828 दिनांक 12.6.06 द्वारा सम विकास योजना एवं मुख्यमंत्री जिला विकास योजना के तहत 50.00 लाख रूपये तक के कार्य की तकनीकी स्वीकृति एवं 345 दिनांक 25.5.07 द्वारा निविदा निस्तार हेतु कार्यपालक अभियन्ता शक्ति प्रत्यायोजित की गयी है। परन्तु 7 स्लूईस गोटों से संबंधित कार्यो के लिए श्री राम द्वारा तकनीकी स्वीकृति देने के साथ साथ पत्रांक 3415 दिनांक 25. 5.07 निर्गत होने के पूर्व ही निविदा का भी निस्तार अपने स्तर से कर दिया गया था फलस्वरूप वित्तीय अनियमितता बरतने के लिए ही दण्ड अधिरोपित किया गया है। मुख्य अभियन्ता, वीरपुर द्वारा प्राधिकृत करने संबंधित कहे गये बातो के लिए साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है।

श्री राम द्वारा कहा गया है कि पॉच वर्षो वाद पुनः दुवारा एफ0 आई0 आर0 दर्ज करने का आदेश जिला पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक 547, 548, 551 दिनांक 20.8.11 द्वारा देते हुए प्रपत्र ''क'' गठित कर पूर्व के आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही चलायी जा रही है। परन्तु संलग्न संचिका सं0–22/नि0सि0(वीर0)–07–01/2010 के अवलोकन से विदित होता है कि श्री राम द्वारा पूर्वी कोशी तटबंध प्रमण्डल सं0–2, वीरपुर में पदस्थापन के दौरान किये गये कार्यो से संबंधित अभिलेखों को नहीं सौपने के फलस्वरूप जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा इस संबंध में श्री राम के स्थानान्तरण के बाद कार्यपालक अभियन्ता, पूर्वी कोशी तटबंध प्रमण्डल सं0–2, वीरपुर द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के आलोक में किया गया है जो आरोप पत्र प्रपत्र ''क'' के अवलोकन से स्पष्ट है। संबंधित मामले में विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु श्री राजेश्वर दयाल, अभियन्ता प्रमुख (उत्तर) को संचालन पदाधिकारी एवं श्री इन्दुभुषण कुमार, अधीक्षण अभियन्ता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। जॉच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर समीक्षा की जायेगी।

उपर्युक्त से स्पष्ट होगा कि संचिका सं0–22/नि0सि0(वीर0)–07–06/2008 सरकारी राशि अपने निजी खाता में रखने संबंधी आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही चलाई गई एवं आरोपों के प्रमाण नहीं पाते हुए दोषमुक्त किया गया है।

संचिका सं0–22/नि0सि0(वीर0)–07–05/2007 में सात स्लुईस गोटों के निर्माण में बरती गई अनियमितता के लिए विभागीय कार्यवाही चलाई गई एवं समीक्षोपरान्त आरोप को प्रमाणित पाकर श्री राम को दंडित किया गया है। संचिका सं0–22/नि0सि0(वीर0)–07–01/2010 में श्री राम द्वारा अभिलेखों का प्रभार नहीं सौपने संबंधी जिलाधिकारी के प्रतिवेदन पर प्रपत्र ''क'' गठित कर कार्रवाई की जा रही है।

स्पष्टतः सभी संचिकाओं में अलग अलग आरोपों के लिए कार्रवाई की गयी है एवं जिस मामले में दण्ड दिया गया है उसमें सभी नियमसंयत प्रक्रियाओं का अनुपालन करने के बाद ही दण्डादेश निर्गत है। जिससे स्पष्ट होता है कि According to constitution of india no person shall be prosecuted and punished for the shame offence move than once का उल्लंधन नहीं हो रहा है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि श्री राम द्वारा अपने अपील अभ्यावेदन में ऐसा कोई नया तथ्य नहीं दिया गया है जिसके आलोक में संसूचित दण्ड को कम किया जा सकें।

वर्णित तथ्यों के आलोक में सरकार द्वारा समर्पित श्री ईश्वर सहाय राम, कार्यपालक अभियन्ता का अपील अभ्यावेदन/पूर्नविचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

अतः श्री ईश्वर सहाय राम, कार्यपालक अभियन्ता का पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

उक्त आदेश श्री राम को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सतीश चन्द्र झा,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) **563**-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in